हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
1-2-2021 वकील उभयपक्ष उप०। वकील वादी बहस को समय चाहते है। अतः वास्ते बहस दर० अन्तिम अवसर दिया जाता है। बहस दर० हेतु पत्रावली दि० 5-2-2021 को पेश हो।	
5-2-2021 वकील उभयपक्ष उप०। प्रा०पत्र आदेश 7 नियम 11 C.P.C. पर बहस सुनी गई। वास्ते निर्णय प्रा०पत्र पत्रावली दि० 11-2-2021 को पेश हो।	
11-2-2021 वकील उभयपक्ष उप०। समयाभाव के कारण निर्णय नहीं लिखा जा सका। वास्ते निर्णय दर० पत्रावली दि० 18-2-2021 को पेश हो।	
18-2-2021 वकील उभयपक्ष उप०। वास्ते निर्णय दर० पत्रावली दि० 25-2-2021 को पेश हो।	
25-2-2021 पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/प्रतिवादी/ ~~अपीलार्थी/रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी/अप्रार्थी/~~उभयपक्ष उपस्थित हैं/अनुपस्थित है। श्रीमान् पीठासीन अधिकारी ~~भ्रमण पर है~~/अवकाश पर हैं/~~अन्य कार्य में व्यस्त हैं/का स्थानांतरण हो गया है।~~ अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 1-3-2021 को पेश हो।	
1-3-2021 वकील उभयपक्ष उप०। प्रा०पत्र आदेश 7 नियम 11 C.P.C. स्वीकार किया जाकर वाद खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय हुक्म के लिखा जाकर पत्रावली में शामिल किया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर नियमानुसार जमा हो एवं बाद तकमील मूल वाद के साथ सलग्न रहे।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2021.03.18 13:29:51 IST
Reason: SelfAttested

कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

मुकदमा नम्बर		तारीख रजू	तारीख निर्णय
[illegible]/2010	दावा	7.1.2010	1.3.2021
[illegible]/2010	टी.आई.	7.1.2010	1.3.2021

श्यामलाल वगैरा बनाम जयनारायण वगैरा

दावा बाबत् विभाजन एवं इन्द्राज दुरूस्ती, स्थाई निषेधाज्ञा
एवं प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0

उपस्थित :– श्री दिनेश चंद डांस, एडवोकेट, वादी की ओर से
श्री मोहम्मद इस्लाम , एडवोकेट, प्रतिवादी सं0 10 की ओर से

निर्णय

उपरोक्त उनवानी वादपत्र एवं प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा में प्रतिवादी हजारी की ओर से दिनांक 22.08.2013 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा0 दी0 इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि उपरोक्त उनवानी दावा वादीगन द्वारा भूमि ख0न0 754, 755, 756, 760, 761, 762, 17/887, 18/888, 19, 20, 21, 22, 23, 31, 32, 63, 64, 65, 66, 97, 98, 125, 126, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517 वाके ग्राम सलेमपुर के सम्बन्ध में दावा बाबत विभाजन घोषणा, खातेदारी दुरूस्ती इन्द्राज, दखलयावी का पेश किया है। जबकि इसी भूमि के सम्बन्ध में वादीगण के पिता जैनू उर्फ जयनारायाण एवं किशनलाल पुत्र भौरया द्वारा प्रतिवादीगण एवं सहखातेदार के विरूद्व एक अन्य दावा भूमि विभाजन घोषणा एवं किशनलाल द्वारा यह घोषणा चाही गयी है। उपरोक्त खसरा नम्बरान का वादी एवं सभी सहखातेदारान के विरूद्व उनके हिस्सेनुसार पृथक विभाजन किया जावे तथा मौखिक विभाजन में वादी नं0 1 के हिस्से में ख0न0 31, 65, 511, 760, 756 का 2/5 हिस्सा तथा ख0नं0 760 से लगता हुआ वादी नं0 2 के खसरा नं0 19, 66, 512, 513, 761 का वादीगण को खातेदार घोषित फरमाया जावे तथा ख0न0 64 में वादीगण व प्रतिवादी सं0 1/3, 1/3, 1/3 खातेदार घोषित फरमाया जावें तथा इसी प्रकार विभाजन किया जावे, पेश किया है। वर्तमान में खातेदारी जैनू उर्फ जयनारायण पुत्र भोरया जाति गूर्जर एवं प्रतिवादी हजारी, नवल, रामनारयण, रामकिशन, जुगराज, धनजी एवं हेमराज, अन्य सह[illegible] है। ऐसी स्थिति में वादीगण का दावा चलने योग्य नहीं [illegible] योग्य है। अतः प्रार्थनापत्र पेश कर निवेदन है कि दा[illegible] 7 नियम 11 के तहत खारिज किये जाने के आदेश प्रदान किये जावें।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी के जबाब मे वादीगण ने अंकित किया है कि वादीगण ने उक्त दावा वर्णित आराजीयात अपने पूर्वज

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2021.03.18 13:29:51 IST
Reason: SelfAttested

बाबा भौरया पुत्र सुखदेव की खातेदारी होने के आधार पर उपरोक्त अनुसार वादीगण की पैतृक भूमि होने के आधार पर वादीगण के हक में पैतृकता के आधार पर वादीगण के हिस्से अनुसार उनके हक में खातेदारी घोषणा के अनुतोष के साथ तदानुसार इन्द्राज दुरूस्ती व वादीगण के हिस्से अनुसार वादग्रस्त आराजीयात का विभाजन किये जाने का उक्त दावा किया है जबकि इस मद में वर्णित दावा जैनु उर्फ जयनारायण वगै0 द्वारा उक्त वादीगण विरूद्व तथाकथित पेश करना बताया गया है उस दावे में वादीगण पक्षकार नहीं है। इसलिए वादीगण का दावा विधिनुसार चलने योग्य है एवं प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। वादीगण की दावा वाद ग्रस्त पैतृक आराजीयात में वादीगण के नियत हिस्से की खतेदारी घोषणा कि रिलिफ के साथ पेश है इस लिए वादीगण का दावा विधिनुसार चलने योग्य है। वादीगण का प्रार्थना पत्र अविधिक है एवं cpc के प्रावधानों के तहत वादी द्वारा वर्णित आधारो पर प्रार्थना पत्र प्रतिवादी खारिज किये जाने योग्य है। अतः जबाब पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

उपरोक्त दोनो प्रार्थना पत्रों पर बहस विद्वान वकील उभयपक्ष सुनी गई।

प्रतिवादी हजारी के विद्वान वकील ने अपने प्रार्थना पत्रों के अनुरूप बहस करते हुए कहा कि वादीगण श्यामलाल वगैरा ने अपने पिता जयनारायण उर्फ जैनू के विरूद्ध यह दावा घोषणा खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती, दखलयाबी, विभाजन भूमि का प्रस्तुत किया है। इसी वादग्रस्त भूमि के विभाजन एवं घोषणा खातेदारी हेतु वादीगण के पिता जैनू उर्फ जयनारायण तथा जैनू उर्फ जयनारायण के भाई किशनलाल ने भूमि से सम्बन्ध पक्षकारो के विरूद्ध इसी न्यायालय मे दावा किया हुआ है जो विचाराधीन है। वादग्रस्त भूमि, भूमि एकीकरण से पूर्व ही अन्य खातेदारों के नाम ट्रांसफर हो चुकी थी और माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिये गये निर्णय के अनुसार 2005 से पूर्व की भूमि की स्थिति को नही बदला जा सकता है। इसके अतिरिक्त अभी वादीगण के पिता जैनू उर्फ जयनारायण की पृथक से कोई खातेदारी भूमि दर्ज नही है। वादीगण अपने पिता की पृथक से दर्ज खातेदारी भूमि मे ही पिता के जीवित रहते हुए भी अधिकार मॉगने के अधिकारी है। ऐसी स्थिति मे यह दावा आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के तहत वार्ड वाई लॉ है। दावा खारिज फरमाया जावे।

वादीगण के विद्वान वकील ने अपनी बहस मे कहा कि वादग्रस्त भूमि पैतृक भूमि है। जिसमे वादीगण का जन्म से [illegible] अधिकार निहित है। अतः वादीगण के अधिकार से मना नही किया जा सकता है। वादीगण ने वादग्रस्त भूमि के सभी सहखातेदारों को पक्षकार बनाया है। वादीगण का दावा कानून के अनुसार ही है। इस पर आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. लागू नही होता है। प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2021.03.18 13:29:51 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
(स०मा०)

बहस पर मनन किया। प्रार्थना पत्र, जबाब प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत नकल दावा संख्या 66/09 उनवानी जैनू उर्फ जयनारायण वगैरा बनाम गुलाब वगैरा के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीगण श्यामलाल वगैरा के पिता जैनू उर्फ जयनारायण द्वारा व जैनू उर्फ जयनारायण के भाई किशनलाल द्वारा घोषणा, विभाजन, स्थाई निषेधाज्ञा का दावा वादग्रस्त भूमि के खातेदारो के विरूद्ध इस न्यायालय मे विचाराधीन है। अभी वादीगण श्यामलाल वगैरा के पिता के नाम पृथक से भूमि दर्ज ही नही है तो फिर वादीगण श्यामलाल वगैरा हस्तगत वाद के माध्यम से अपने पिता की भूमि मे खातेदारी घोषणा कराने के अधिकारी नही है। हमारी राय मे वादीगण श्यामलाल वगैरा द्वारा प्रस्तुत वाद आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के तहत विधि से बाधित है एवं चलने योग्य नही है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रतिवादी हजारी द्वारा दावा एवं प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में दिनांक 22.8.2013 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर दावा संख्या 3/2010 एवं प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा संख्या 1/2010 उनवानी श्यामलाल वगैरा बनाम जयनारायण वगैरा विधि से बाधित होने के कारण खारिज किये जाते है। पर्चा डिक्री जारी किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 1.3.2.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी (राज.)

(अनिल कुमार चौधरी)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2021.03.18 13:29:51 IST
Reason: SelfAttested